न्यायालय– द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

सरकार बनाम अनीस अहमद आदि

दिनांक– 01.11.2022

आदेश

अभियुक्तगण अनीस अहमद, बरकत अली एवं राममिलन शुक्ला की ओर से मु०अ०सं० संख्या–78/2022 धारा– 384 भारतीय दण्ड संहिता, थाना– नरैनी, जिला बांदा से सम्बन्धित प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त वाद में पूर्णतया निर्दोष हैं तथा प्रार्थीगण को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थीगण के पास से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे पर्याप्त जमानते देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण आज दिनांक 01.11.2022 तक अन्तरिम जमानत पर थे। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र जमानत अभियुक्तगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा बीस–बीस हजार रुपये के नवीन निजी बंधपत्र एवं पूर्व में दाखिल समान धनराशि पर उन्हें जमानत पर मुक्त किया जावे।

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा